उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या– 18/2021/आई/111800/2021-फा0नं0–10–19099/143/2021–22
लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र

दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड पे रू0 8700/- के लिये मैट्रिक्स लेवल–13 में संशोधन के फलस्वरूप पेंशन के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–15/2021/आई/ 108536/2021-फाईलनं0-10-19099/143/2021-22, दिनांक 22–10–2021 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

2– उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 की प्रथम पंक्ति में त्रुटिवश भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक "28–09–2017" के स्थान पर दिनांक "16–05–2017" टंकित हो गया है तथा प्रस्तर–3 व प्रस्तर–4 की तृतीय पंक्ति में त्रुटिवश शासनादेश की दिनांक "27–07–2017" के स्थान पर दिनांक "20–07–2017" टंकित हो गया है।

3– अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 22–10–2021 के प्रस्तर–2 की प्रथम पंक्ति में सन्दर्भित भारत सरकार की अधिसूचना की तिथि "16–05–2017" के स्थान पर "28–09–2017" तथा प्रस्तर–3 व प्रस्तर–4 की तृतीय पंक्ति में सन्दर्भित वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश की तिथि को "20–07–2017" के स्थान पर "27–07–2017" पढ़ा जाये। शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश की शेष व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-18/2021/आई/111800/2021-फा0नं0-10-19099/143/2021-22(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।